

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com Mine Code-38GUJ08007 Date-15/11/2017

मिसिल संख्या : GUJ/POR/LST-52

प्रेषित : M/s Saurashtra Chemicals Division of Nirma Ltd,
Nirma House, Ashram Road, Near Income Tax,
Ahmadabad, Gujarat-380 009

विषय:- गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, रानावाव-तालुका, आदित्याना-गाँव में स्थित आपकी चूनापत्थर खदान, सर्वे नंबर -5/6, क्षेत्रफल 97.61 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत। महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 04/11/2017 को श्री डी.के. सिंह एवं खदान मैनेजर श्री राकेश पटेल की उपस्थिति में किया गया था तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 11(1)	The mining operations are not carried out as per approved Scheme of mining vide letter No 682/(23)/MS-559/2010/Udai dated 20/9/2016 for the year 2016-17 to 2019-20 to the extent indicated below (i) Excavation- It was proposed to work the mining operation in Block A,B&C as earmarked in plate No 3A-1,3B-1&3C-1 for the year 2016-17& 3A-2,3B-2&3C-2 for 2017-18 but actual mine workings i.e. production & development is not achieved as proposed & deviated from proposal. The top & bottom level of benches excavation was continuing without proposal & loading points is using by means of sizing & sorting of minerals. More so formation of benches is not regular shape & size & un-systematic developed & mineral rejects/undersize/fines (-25mm) stacked in loading site & almost entire broken area where no proposal was there.
Rule 33	The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30th June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section maintained under rule 32 of MCDR,2017to this office till date.
Rule 55(1)(3)	A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules.

कृ.प.उ.

02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं

होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

01. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **45 दिन** के भीतर उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

03. रक्षित पत्रावली ।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर